न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 188/2018/223 आर टी ए

1. रमेशचन्द्र पुत्र बिहारीराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 05 जलालाबाद फाजिल्का हाल चक 26 एएमपी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुलामआयशा पत्नि मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. इब्राहिम पुत्र मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. शाहजहान पुत्र मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. अब्दुलगफफार पुत्र मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. बाबरखां पुत्र मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. इस्माईल खां पुत्र मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. हसीना पुत्री मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. मरूफा पुत्री मोहम्मदयार जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. फजलरहमान पुत्र नूरमोहम्मद जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
11. यूसूफ मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12. हुसैनमोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

1. नूरसैन पत्नि नूरजमाल जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहम्मद शकूर पुत्र नूरजमाल जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. खान मोहम्मद पुत्र नूरजमाल जाति राठ निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 287/2016 अनवानी स्टेट बनाम नूरसैन आदि

उपस्थित :—
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 3
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18

निर्णय दिनांकः—04.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 7 स्टेट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के नाम से चक 26 एएमपी तहसील संगरिया खाता सं. 58/54 मे 2.923 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस भूमि मे प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/ 0.228, 8/0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड मे जिसमे प्रतिवादी ने किसान किलन के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। प्रतिवादीगण ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 14 के अधिवक्ता ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके द्वारा ईंट भट्टा लगाया गया है लेकिन कि.न. 2 की 0.228 है0 कृषि भूमि मे ईंट भट्टा नही लगाया गया है, प.न. प.न. 99/158 के मु.न. 20 के कि.न. 01/0.228, 3/0.228, 8/0.127 तथा कि.न. 9 ता 11 मे ईंट भट्टा लगा रखा है। कृषि भूमि को संपरिवर्तन हेतु दिनांक 07.08.2012 को आवेदन किया था जो विचाराधीन है। विचारण न्यायालय ने द्वारा दिनांक 28.05.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर चक 26 एएमपी तहसील संगरिया के खाता सं. 58/54 प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/.228, 8/0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 भूमि को आराजीराज घोषित किये जाने

का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांट के हितो की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वादपत्र एक प्रति मे प्रस्तुत किया गया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा किसी प्रकार का शपथ पत्र या साक्ष्य पेश नही किया गया। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आनन फानन मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 4 ता 14 से जरिये रजिस्टर्ड ठेकानामा/किरायानामा दिनांक 09.07.2018 को 10 वर्ष के लिए ली गई है जिसकी जानकारी वादी को थी परन्तु वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार के रूप मे संयोजित नही किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पक्षकारो के असंयोजन के कारण काबिले खारिज था परन्तु विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट को वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब देही प्रस्तुत नही कर सका। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं. 4 ता 14 से जरिये रजिस्टर्ड ठेकानामा/किरायानामा पर ली गई है कृषि भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इसके संबंध मे रेस्पो0 सं. 4 ता 14 के जवाबदावा मे स्पष्ट कथन है तथा रेस्पो0 सं. 18 द्वारा जानबूझकर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही है, इसके स्वयं वादी/रेस्पो0 सं. 18 स्वयं उतरदायी है। वादग्रस्त भूमि सांझा खाता मे है जिसका विवाद विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है, जिसमे प्राथमिक डिक्री पारित की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि का विवाद न्यायालय मे लम्बित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा सपरिवर्तन शुल्क नही जमा करवा रहा है लेकिन रेस्पो0 सं. 4 ता 14 सपरिवर्तन राशि जमा करवाने के लिए तैयार है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा सन् 2012 से लम्बित सपरिवर्तन आदेश की पत्रावली मे जानबूझकर शुल्क जमा नही करवाया कृषि भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इसके संबंध मे अपीलांट व

रेस्पो0 सं. 1 के जवाबदावा मे स्पष्ट कथन है तथा हल्का पटवारी द्वारा संपरिवर्तन की रिपोर्ट रेस्पो सं. 3 को प्रस्तुत की जा चुकी है जबकि रेस्पो0 सं. 3 द्वारा जानबूझकर विचारण न्यायालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही है, इसके स्वयं वादी/रेस्पो0 सं. 3 उतरदायी है। वादग्रस्त आराजी सांझा खाता मे है जिसका विचारण न्यायालय मे दावा विचाराधीन था जिसका हाल ही मे राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार ढाबा मे निर्णय पारित किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि का हाल ही मे खाता विभाजन की डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है, विचारण न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन शुल्क जमा नही करवाया जा रहा है लेकिन अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 संपरिवर्तन राशि जमा करवाने के लिए तैयार है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा सन् 2012 से लम्बित संपरिवर्तन आदेश की पत्रावली मे जानबूझकर शुल्क जमा नही करवाया जा रहा है, इस बिन्दू की ओर ध्यान ना देकर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 14 के नाम चक 26 एएमपी तहसील संगरिया खाता सं. 58/54 मे 2.923 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस भूमि मे प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/0.228, 8/ 0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड मे जिसमे किसान किलन के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। प्रतिवादीगण ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज की गई जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि ''रेस्पो0 सं. 18 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए पेश किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 14 के नाम चक 26 एएमपी तहसील संगरिया खाता सं. 58/54 मे 2.923 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस भूमि मे प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/0.228, 8/0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड मे जिसमे किसान किलन के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। प्रतिवादीगण ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। इसलिये कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा आराजीराज की जावें।''

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादपत्र रेस्पो. सं. 18 स्वीकार कर चक 26 एएमपी तहसील संगरिया खाता सं. 58/54 के प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/0.228, 8/0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 भूमि को आराजीराज घोषित करते हुए मौका से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये। जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत संपरिवर्तन आवेदन पत्र मे वर्णित भूमि के अनुसार चक 26 एएमपी के प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 1/0.228, 3/1–0.013, 8/0.127, 9, 10, 11/0.759 कुल 1.127 है0 भूमि मे ईंट भट्टा लगाया गया है, प.न. 99/158 कि.न. 2/0.228 है0 मे कोई भट्टा नही लगा हुआ है तथा चक 26 एएमपी के प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 1/0.228, 3/1–0.013, 8/0.127, 9, 10, 11/0.759 कुल 1.127 है0 भूमि के संबंध मे भूमि परिवर्तन हेतु संपरिवर्तन का आवेदन पत्र अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.01.2013 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन है तथा भूमि सांझा खाता मे दर्ज थी जिसका विभाजन हेतु वाद विचाराधीन है, जिसमे प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है तथा पत्रावली विभाजन

प्रस्ताव के इन्तजार हेतु विचाराधीन है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पो0 सं. 18 के मात्र कथनो के आधार पर बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय के जरिये चक 26 एएमपी तहसील संगरिया खाता सं. 58/54 के प.न. 99/158 मु.न. 20 कि.न. 01/0.228, 2/0.228, 8/0.051, 9, 10/0.506 कुल 1.013 है0 को आराजीराज दर्ज करते हुए कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) के अनुसार धारा 177 के अन्तर्गत ऐसी डिक्री या आज्ञा मे यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का लागत के अलावा अन्य किसी के लिये निष्पादन नही किया जायेगा, आदि प्रावधान किये गये। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से धारा 177 व 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ